अध्याय III
विविधिकरण कार्यकलाप

अपने विविधिकरण अभियान के रूप में, कम्पनी ने मध्य प्रदेश राज्य में पन्ना में हीरा खनन के साथ-साथ इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्र, पैलेट संयंत्र तथा एक स्पंज लौह संयंत्र के अधिग्रहण आदि करने का साहस किया। कम्पनी द्वारा किए गए विभिन्न विविधिकरण कार्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा इस अध्याय में की गई है।

3.1 छत्तीसगढ़ में नगरनार में एकीकृत इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) की स्थापना

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 ने 2004-2020 की समयावधि के दौरान वार्षिक इस्पात उत्पादन के 7.3 *प्रतिशत* की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया। भारत में इस्पात वृद्धि के अवसरों का लाभ उठाने के लिए, कम्पनी ने एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कम्पनी के माध्यम से इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया (अगस्त 2007)। इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा बैठक (13 मार्च 2008) में, यह अनुमान लगाया गया कि इसे 3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए 2:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात (ऋण के लिए ₹8,000 करोड़ तथा इक्विटी के प्रति ₹4,000 करोड़) के साथ ₹12,000 करोड़ पूंजी की आवश्यकता होगी। संयंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने के पश्चात्, यह निर्णय लिया गया (13 मार्च 2008) कि एनएमडीसी अपने पर्याप्त आरक्षित नकद तथा प्राथमिक कच्चे माल अर्थात् लौह अयस्क तक आसान पहुंच को देखते हुए स्वयं संयंत्र की स्थापना करें। कम्पनी ने मंत्रालय को सूचित किया (20 मार्च 2008) कि संयंत्र की सम्पूर्ण लागत को इसके आन्तरिक संसाधनों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्णय अनुसार, बोर्ड ने परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) बनाने के लिए परामर्शदाता के रूप में मीकान लिमिटेड की नियुक्ति को मंजूर किया (जुलाई 2008)। मीकान ने विभिन्न क्षमताओं के निम्नलिखित उत्पाद मिश्रण के लिए टीईएफआर प्रस्तुत की (दिसम्बर 2008):

तालिका 3.1 - नगरनार पर प्रस्तावित एकीकृत इस्पात संयंत्र का उत्पाद मिश्रण

क्र. सं.	उत्पाद विवरण	आकार (धनत्व *चौडाई) एमएम में	टन में वार्षिक उत्पादन क्षमता
1	हॉट रॉल्ड प्लेट्स	5-10*1030-1650 एमएम	4,00,000
2	हॉट रॉल्ड प्लेट्स	5-10*1030-1650 एमएम	4,00,000
3	एपीआई-5एल 80 एमएम तक गुणवत्ता प्लेट्स	6-12*1550 एमएम	5,00,000
4	हॉट रॉल्ड प्लेट्स	2-4*1030-1650 एमएम	2,00,000
5	एलपीजी सिलेंडर	2.0-3.15*1000-1665 एमएम	2,00,000
6	हॉट रॉल्ड क्वाइल	1.6-10*900-1650 एमएम	9,46,000
7	हाई कार्बन इस्पात	205-11.5 एमएम	50,000
8	सिलीकॉन इस्पात	1.81-3.5 एमएम	1,00,000
9	ऑटोमोटिव इस्पात		1,00,000
	कुल		**28,96,000**

तत्पश्चात, कम्पनी ने मीकान द्वारा प्रस्तुत टीईएफआर का यथोचित आकलन करने का कार्य प्राइसवाटरहाउसकूपर्स को दिया (मार्च 2009) जिसने मई 2009 में आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की। तद्नुसार, एनएमडीसी बोर्ड ने नगरनार, छत्तीसगढ़ में समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी (जनवरी 2010) तथा मार्च 2014 तक निर्धारित पूर्णता के साथ ₹403.65 करोड़ के निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) को शामिल करते हुए ₹15,525 करोड़ की अनुमानित राशि संस्वीकृत की। कम्पनी का नगरनार में परियोजना के लिए 884.189 हेक्टेयर (2,184.83 एकड़[27]) भूमि पर अधिकार था। संयंत्र हेतु अपेक्षित मूल कच्ची सामग्री लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, लाइम तथा डोलोमाइट थी। बेलाडीला डिपॉजिट-4 को लौह अयस्क के लिए एक संसाधन के रूप में निर्धारित किया गया। कोकिंग कोयले को चीन, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया से आयात करने की योजना बनाई गई थी। लाइम तथा डोलोमाइट को घरेलू रूप से मँगाने की योजना बनाई गई थी। मई 2011 तक 36.483 हेक्टेयर वन भूमि सहित वन मंजूरी स्तर-II प्राप्त की गई।

[27] *एक हेक्टेयर 2.471 एकड़ के बराबर है।*

कंपनी इस्पात संयंत्र की स्थापना के क्षेत्र में नई थी और परियोजना के कार्यानवयन में कंपनी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एक बेहतर परिज्ञान और नियंत्रण प्रदान कर सकती थी। डीपीआर समान्यत: अध्ययनों से प्राप्त डेटा और परिणामों के आधार पर तैयार की जाती है। डीपीआर में सभी मुख्य पहलूओं के विस्तृत विवरण तैयार किये जाते हैं। टीइएफआर और डीपीआर के बीच मुख्य अंतर सटीकता के स्तर और विवरण के स्तर का होता है।

हमने पाया कि कम्पनी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाए बिना परियोजना का क्रियान्वयन आरम्भ किया तथा टीईएफआर में दिए संभावित विवरण के आधार पर विभिन्न पैकेज दिए। परिणामस्वरूप, आकलनों का उर्ध्वगामी संशोधन किया गया तथा निविदाओं को आमंत्रित करने के पश्चात् तकनीकी विनिर्देशों को परिवर्तित किया गया। इसके फलस्वरूप आगामी पैराग्राफों में विस्तृत अनुसार निविदाकरण तथा पैकेज देने में विलम्ब हुआ।

प्रबंधंन ने कहा (मार्च 2018) कि टीईएफआर ने उपलब्ध तकनीक के निर्धारण, कच्चे माल, भूमि, जल, विघुत तथा अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकता के साथ सामान्य रूप रेखा के निर्माण के साथ वैचारिक ढांचा प्रदान किया तथा यह निवेश निर्णय के लिए आधार होगा। समय व्यतीत होने के साथ, डीपीआर बनाने की धारणा ने अपनी संगतता खो दी थी क्योंकि इसे बनाने पर अधिक समय बीत जाता है जिसके फलस्वरूप परियोजना समय निर्धारण तथा लागत में वृद्धि होती है।

प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि डीपीआर के निर्माण से परियोजना के निर्धारित समय तथा लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि डीपीआर से परियेाजना क्रियान्वयन के प्रभावी नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग में सहायता मिलती है। टीईएफआर को यह निर्धारण करने के लिए बनाया जाता है कि क्या प्रस्तावित परियोजना तकनीकी रूप से तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य है तथा यह परियोजना शुरू करने के लिए निर्णय लेने हेतु आधार बनाती है। डीपीआर कार्य के कार्यक्षेत्र, परियोजना की अनुमानित लागत, पैकेजों का विवरण, चयनित की जाने वाली तकनीक, तकनीकी विनिर्देश आदि जैसे ब्यौरे प्रदान करती है जो परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य है। टीईएफआर तथा डीपीआर के बीच प्रयोजन का स्पष्ट अन्तर कम्पनी के हित में अत्यावश्यक था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से की गई कि तकनीकी विनिर्देशों को बाद में परिवर्तित किया गया, लागत आकलन में उर्ध्वगामी संशोधन किया गया तथा टीईएफआर के समय आरम्भिक रूप से परिकल्पित न होने वाले पैकेजों की संख्या को बाद में जोड़ा गया तथा अतंत: इसके फलस्वरूप अधिकतर पैकेजों को देने/उनके क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।

हमारे तर्क को स्वीकार करते समय, मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि डीपीआर बनाना उन साधारण परियोजनाओं के लिए संभव हो सकता था जहां जटिलता नहीं थी। यद्यपि डीपीआर अधिक पूर्ण आकलन देती है, कार्यक्षेत्र, विनिर्देशों आदि को अंतिम रूप देना कठिन था, कुछ सुविधाएं अन्य पैकेजों, परिचालनात्मक धारणा, अनुरक्षण तथा कार्यनीति पर अधिक निर्भर थी। इसके अलावा, कुछ निजी प्लेअरों ने अपनी विस्तारित परियोजनाओं/ नई परियोजनाओं को टीईएफआर के आधार पर क्रियान्वित किया।

यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती तो लागत तथा समय आधिक्य को कम किया जा सकता था अथवा रोका जा सकता था, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.1.1 इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए सलाहकार के रूप में मीकान लिमिटेड की नियुक्ति

कम्पनी ने अपनी 404वीं बोर्ड बैठक (24 जुलाई 2008) में नामाकंन आधार पर इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण प्रबंधंन तथा परियोजना प्रबंधन (ईपीसीएम) के लिए एकमुश्त आधार पर मीकान को नियुक्त करने का निश्चय किया। तदनुसार, परामर्श कार्य ठेका 25 मार्च 2009 की प्रभावी तिथि से 60 माह अर्थात मार्च 2014 तक की पूर्णता अवधि के साथ ₹351 करोड़ की लागत पर दिया गया (23 फरवरी 2011)। ठेके की शर्तों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अनुबंधित किया कि ₹140.40 करोड़ की ठेका मूल्य राशि के 40 *प्रतिशत* का भुगतान प्रभावी तिथि से 60 मासिक किश्तों में किया जाएगा तथा ₹210.60 करोड़ (60 *प्रतिशत*) की शेष राशि का भुगतान इंजीनियरिंग सेवाओं की पूर्णता हेतु माइलस्टोन की प्राप्ति पर किया जाना था। इसके प्रति, कम्पनी ने मार्च 2014 तक मासिक किश्तों के प्रति ₹140.40 करोड़ के 40 *प्रतिशत* का भुगतान किया था तथा ₹210.60 करोड़ के 60 *प्रतिशत* माइलस्टोन भुगतान के प्रति, कम्पनी ने अगस्त 2017 तक ₹173.80 करोड़ का भुगतान किया था।

3.1.2 सलाहकार का कार्य-निष्पादन

टीईएफआर के अनुसार, प्रमुख तकनीकी पैकेजों के लिए आर्डर देने का कार्य प्रभावी तिथि के 19 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था तथा इसे परियोजना की शून्य-तिथि के रूप में संगणित किया जाना था। परियोजना को शून्य तिथि से 42 महीने में शुरू किया जाना था। इसके अलावा, सहायक पैकेजों को देने का कार्य शून्य तिथि से 17 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था। तद्नुसार, प्रमुख पैकेजों को अक्टूबर 2010 (अर्थात् मार्च 2009 की प्रभावी ईपीसीएम ठेका तिथि से 19 माह) तक दिया जाना था तथा सहायक पैकेजों को मार्च 2012 तक दिया जाना था। कम्पनी ने 44 कार्य आदेश दिए (मार्च 2017) जिनमें से ₹5 करोड़

तथा अधिक मूल्य के 38 कार्य आदेश का हमारे द्वारा चयन तथा निरीक्षण किया गया जैसाकि नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.2 - नगरनार समेकित इस्पात संयंत्र के निर्माण हेतु दिए गए पैकेजों का विवरण

पैकेजों की श्रेणी	ठेको की कुल संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	चयनित ठेको की संख्या	चयनित ठेको का मूल्य (₹ करोड़ में)
प्रमुख पैकेज	9	11878.47	9	11878.47
सहायक पैकेज	14	2316.23	13	2313.12
अवसरंचनात्मक पैकेज	7	311.69	5	304.62
एनेबलिंग पैकेज	11	236.94	8	231.28
रेलवे पैकेज	3	446.39	3	446.39
कुल	**44**	**15189.72**	**38**	**15173.88**

38 चयनित खरीद आदेशों के संदर्भ में उपरोक्त कार्यान्वयन अनुसूची के संदर्भ के साथ निविदा जारी करने तथा ठेका देने की तिथियों का विवरण, व विलम्ब हेतु कारणों सहित खरीद आदेश देने में विलम्ब को **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

3.1.3 प्रमुख पैकेज देने में विलम्ब

नौ मुख्य पैकेजों को देने का कार्य अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जाना था। यह पाया गया कि कम्पनी अप्रैल 2010 तक एक भी निविदा आमत्रंण नोटिस (एनआईटी)/सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) आमंत्रित नहीं कर सकी तथापि लागत आकलन तैयार करने तथा निविदा विनिर्देश कार्य को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई बहुत पहले जुलाई 2009 में आरम्भ हो गई थी। इसे अप्रैल 2010 से जुलाई 2011 तक की समयावधि के दौरान जारी किया गया था। इसके अलावा, कम्पनी ने एनआईटी/एलटीई के बाद 9 माह से 25 माह की अवधि के अन्दर नौ मुख्य पैकेजों के लिए खरीद आदेश दिया। मानक बोली दस्तावेजों में किए गए परिवर्तन, लागत आकलन/बोली मूल्य के संशोधन, तकनीकी विनिर्देश में परिवर्तन, भावी बोलीदाताओं के साथ चर्चा के पश्चात् कुछ सुविधाओं को जोड़ने अथवा हटाने आदि की वजह से विलम्ब हुआ था। खरीद आदेश देने में पैकेज-वार विलम्ब का विश्लेषण **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। निविदाकरण स्तर के दौरान नौ पैकेजों में से छः के संदर्भ में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, परिमाण/मात्रा में परिवर्तन, कम-आकलन की वजह से आकलित लागत में ₹1,211.80 करोड़ की राशि जोड़ी गई। उदाहरणार्थ पैकेज-I अर्थात कच्ची सामग्री प्रबंधन प्रणाली (आरएमएचएस) के मामले में, वैगन टिप्पलर, स्ट्रीम क्षमता तथा स्टॉक यार्ड आदि

के ब्यौरे में परिवर्तन के कारण आकलित लागत ₹279.35 करोड़ तक बढ़ गई तथा पैकेज-2 अर्थात कोक अवन बैट्री के संदर्भ में, विखनिजीकरण जल संयंत्र, पुशिंग एमिशन कन्ट्रोल सिस्टम, अपवर्तकों आदि के प्रति कार्यक्षेत्र में वृद्धि की वजह से आकलित राशि में ₹173.90 करोड़ तक वृद्धि हुई। तथ्य यह है कि आकलनों में संशोधन हुआ था तथा तकनीकी ब्यौरे, सुविधाओं में वृद्धि/कमी सलाहकार की तरफ से परियोजना निर्माण तथा लागत आकलन में कुशलता तथा विशेषज्ञता पर संदेह उत्पन्न करती है।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि इसे फरवरी 2011 तक सभी अनिवार्य मंजूरी मिल सकती थी। तदनुसार, शून्य तिथि को मई 2015 की नियत पूर्णता के साथ मार्च 2011 तक निर्धारित किया गया था। मंजूरी से पूर्व, समान कार्रवाई के रूप में मुख्य पैकेजों के लिए ब्यौरों तथा लागत आकलनों को 2009-10 के दौरान बनाया गया। सभी नौ मुख्य पैकेजों को परियोजना की शून्य तिथि से 14 माह के अन्दर मई 2012 तक अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ईपीसीएम ठेके की प्रभावी तिथि मार्च 2009 घोषित की गई थी तथा टीईएफआर के अनुसार मुख्य पैकेजों के पूर्व-आदेश कार्यों को 19 माह के अन्दर अर्थात अक्टूबर 2010 तक पूरा किया जाना था जिसे शून्य तिथि के रूप में माना जाना चाहिए। चूंकि मुख्य पैकेजों को नवम्बर 2012 तक अंतिम रूप दिया गया था अत: इन पैकेजों को देने में कम्पनी द्वारा लिया गया समय टीईएफआर में अनुबंधित 19 माह के प्रति 44 माह था।

3.1.4 सहायक तथा अन्य पैकेजों को देने में विलम्ब

सहायक पैकेजों को मार्च 2012 तक अर्थात शून्य तिथि से 17 माह के अन्दर दिया जाना था। हालांकि सलाहकार ने इन पैकेजों के लिए एनआईटी/ईओआई जुलाई 2016 तक भी आमंत्रित किए। इसके अलावा, कम्पनी ने पैकेज देने के लिए **अनुलग्नक-VII** में दिए विवरण के अनुसार एनआईटी/ईओआई की तिथि (दिसम्बर 2010 व अप्रैल 2017) से 5 माह से 46 माह तक लिए। ये विलम्ब विनिर्देशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब, सलाहकार/निविदा संवीक्षा समिति द्वारा लिए गए मूल्यांकन समय, एकल बोली की प्राप्ति की वजह से पुन: निविदाकरण, जहां एल-I मूल्य आकलन से काफी अधिक था वहां सशक्त निदेशक समिति/ बोर्ड की मंजूरी प्राप्त करना आदि के कारण थे। निविदाकरण स्तर के दौरान, मात्रा/परिमाण में परिवर्तन की वजह से पैकेजों की आकलित लागत में ₹1,413.28 करोड़ की राशि जोड़ी गई। उदाहरणार्थ, पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन पैकेज में, स्टीम टर्बाइन एवं जनरेटर, इलेक्ट्रिक्लस तथा विखनिजीकरण जल संयंत्र आदि की क्षमता में ₹70 करोड़ तक वृद्धि थी

तथा प्लांट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पैकेज के संदर्भ में एयर इन्सुलेटिड सबस्टेशन से गैस इन्सुलेटिड सबस्टेशन सुविधा की स्विच गियर की तकनीक में परिवर्तन की वजह से ₹79 करोड़ तक वृद्धि थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि सहायक पैकेजों के निविदाकरण की योजना प्रमुख पैकेजों के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर बनाई जानी थी क्योंकि सहायक पैकेजों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए प्रमुख तकनीकी पैकेज ठेकेदारों से विभिन्न इनपुट की आवश्यकता थी। इसके अलावा, कुछ सहायक/अवसंरचना पैकेजों की खराब प्रतिक्रिया/किसी बोलीदाता के योग्यता मानदण्ड पूरा न करने/एल-I बोलीदाता द्वारा उद्धृत अधिक मूल्यों की वजह से पुन: निविदा की गई। उक्त प्रक्रिया ने कुछ निविदाओं में समय लिया।

टीईएफआर में शून्य तिथि से 17 माह के भीतर सहायक तथा अन्य पैकेज देने की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि, इन पैकेजों के कार्य 5 से 46 माह के बीच की अवधि के अन्दर दिए गए थे। यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती, जो कार्य के पूर्ण कार्यक्षेत्र, तकनीकी विनिर्देशों तथा लागत आकलनों को स्थिर रखती है, तो विलम्ब को रोका जा सकता था। डीपीआर बनाने में विफलता के फलस्वरूप निविदाकरण तथा पैकेज देने में परिहार्य विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि सुविधाओं के परिचालन तथा अनुरक्षण की सुविधा पर विचार करते हुए निविदा स्तर के दौरान नई सुविधाएं जोड़ी गई। लेखापरीक्षा द्वारा की गई यह आपत्ति गलतफहमी पैदा करने वाली थी कि डीपीआर बनाने की विफलता के परिणामस्वरूप निविदाकरण तथा पैकेजों को देने में परिहार्य विलम्ब हुआ जिसे उन अन्य इस्पात पीएसयू में अनुरक्षित प्रक्रिया द्वारा सिद्ध किया गया है जहां परियोजना का क्रियान्वयन टीईएफआर आधार पर किया जाता है।

उत्तर की इस तथ्य के संदर्भ में समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है कि सहायक पैकेजों की कुल लागत को ₹1,776.25 करोड़ की वृद्धि दर्शाते हुए ₹1,557.05 करोड़ से ₹3,333.30 करोड़ तक संशोधित किया गया। इसमें से ₹1,413.28 करोड़ की वृद्धि कार्य के परिमाण/मात्रा में परिवर्तन के प्रति थी। यह दर्शाती है कि टीईएफआर में अनुचित परियोजनाएं बनाई गई थी। यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती तो पूर्ण कार्यक्षेत्र को अधिक सटीकता से आकलित किया जा सकता था तथा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता से बचा जा सकता था।

3.1.5 कुल परियोजना लागत का संशोधन

बोर्ड ने परियोजना लागत के रूप में ₹15,525 करोड़ की मंजूरी दी (जनवरी 2010)। यद्यपि दिए गए कार्यों की लागत में वृद्धि के संदर्भ में, मूल आकलन पर ₹6,671 करोड़ (43 *प्रतिशत*) की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹22,196 करोड़ के लागत आकलन में संशोधन की मंजूरी के लिए बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (दिसम्बर 2016)। आकलित लागत में संशोधन कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा कार्य के परिमाण/मात्रा में वृद्धि व कमी (₹3,842 करोड़) तथा मूल्य संवर्धन, विदेशी विनिमय भिन्नता तथा शुल्कों व करों में परिवर्तन (₹2,829 करोड़) की वजह से था। संशोधित लागत आकलन (आरसीई) को बोर्ड द्वारा अभी मंजूर किया जाना था (मार्च 2018)। इसके अलावा, कार्य के परिमाण/मात्रा में वृद्धि में 90 किमी. लम्बाई की 220 केवी लाइन के बजाय 331 किमी. लम्बी 400 केवी लाइन बिछाने के कारण ₹70 करोड़ से ₹404.96 करोड़ तक (₹334.96 करोड़ की निवल वृद्धि), बाह्य विद्युत संचरण लाइन की लागत में वृद्धि, 40 किमी. से 65 किमी. तक लम्बाई में वृद्धि तथा पूर्व तटीय रेलवे के आदेश पर नई सुविधाओं में वृद्धि के कारण ₹134 करोड़ से ₹557.71 करोड़ तक (₹423.71 करोड़ की निवल वृद्धि), रेलवे पैकेज मूल्य तथा सभी कर्मचारियों (टीईएफआर में परिकल्पित 75 प्रतिशत श्रमबल के बजाय) के लिए क्वार्टरों के निर्माण तथा विद्यालय, अस्पताल तथा गेस्ट हाउस आदि जैसी सार्वजनिक बिल्डिंग के प्रति लागत के समावेश की वजह से टाउनशिप पैकेज में ₹300 करोड़ से ₹1,870.27 करोड़ तक वृद्धि (₹1,570.27 करोड़ की निवल वृद्धि) सम्मिलित थी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि लागत आकलन को विभिन्न सुविधाओं जिसमें तकनीकी/सहायक/समर्थ पैकेज, बाह्य अवसंरचना, टाउनशिप, रेलवे ट्रैक एंव साइडिंग कार्य, विस्तृत इंजीनियरिंग, परामर्श फीस एवं परियोजना प्रबंधन, भूमि तथा साइट विकास आदि सम्मिलित थे, के शेष पैकेजों के लिए आकलित लागत, विस्तृत अंतिम कार्यक्षेत्र के साथ अंतिम रूप दिए गए मूल्यों की वजह से संशोधित किया गया था। इसके अलावा, आरसीई में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी), आकस्मिकताएं, प्राथमिक एंव पूर्व-परिचालन व्यय, आईएनआर (रूपए) भाग पर मूल्य संवर्धन हेतु प्रावधान तथा विदेशी मुद्रा भिन्नता, पुनरूद्धार तथा पुनर्वास (आर एवं आर) के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता आदि सम्मिलित था। आरसीई ₹22,610.35 करोड़ तक अनुमानित था जिसे अभी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाना था।

यदि कम्पनी ने डीपीआर बनाई होती तो लागत आकलनों में वृद्धि को करों और शुल्कों तथा विदेशी मुद्रा भिन्नता में परिवर्तन तक सीमित किया जा सकता था।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि लेखापरीक्षा अवलोकन स्पष्ट नहीं है क्योंकि करों तथा शुल्कों और विदेशी मुद्रा भिन्नताओं में आगामी परिवर्तन का आरम्भिक स्तर पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जबकि करों/शुल्कों की परिवर्तनशील प्रकृति और विदेशी मुद्रा में परिवर्तन/अस्थिरता के कारण लागत अनुमानों में परिवर्तनों को नज़रंदाज़ नहीं किया जा सकता, परियोजना लागत अनुमानों पर मुख्य संशोधन कम से कम हो सकते थे, यदि कंपनी ने डीपीआर तैयार की होती।

3.1.6 परियोजना का क्रियान्वयन

टीईएफआर के अनुसार, सम्पूर्ण परियोजना (निविदाकारण, क्रियान्वयन तथा चालू करना) को 60 माह के अन्दर अर्थात मार्च 2014 तक (मार्च 2009 से प्रभावी तिथि होते हुए) पूर्ण होना चाहिए था। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए, कम्पनी ने फरवरी 2011 में दो परामर्श कार्य ठेके दिए अर्थात् निविदाकरण तथा पैकेज देने के लिए फरवरी 2011 में ईपीसीएम ठेका दिया तथा परियोजना प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण सेवा (पीएमसी) ठेका अप्रैल 2012 में दिया गया। दोनों ठेके मीकान को दिए गए। टीईएफआर में अनुबंधित समयसीमा के अनुसार, ईपीसीएम ठेके की निर्धारित पूर्णता अवधि मार्च 2014 थी। हालांकि, पीएमसी ठेके की निर्धारित पूर्णता अवधि मार्च 2015 तक थी जो मार्च 2014 की निर्धारित पूर्णता अवधि से बाद की थी।

पीएमसी ठेके में प्रभावी तिथि (07 जनवरी 2011) से मासिक आधार (जनवरी 2011 से दिसम्बर 2014 तक) पर ठेका मूल्य (₹244 करोड़) के 40 *प्रतिशत* अर्थात ₹97.60 करोड़ की राशि के भुगतान हेतु प्रावधान था तथा शेष ₹146.40 करोड़ (60 *प्रतिशत*) का भुगतान परियोजना की माइलस्टोन पूर्णता पर किया जाना था। कम्पनी ने अभी तक पीएमसी ठेके के क्रियान्वयन के प्रति सलाहकार को ₹161.48 करोड़ का भुगतान किया था (17 फरवरी 2018) जिसमें वास्तविक प्रगति से जोड़े बिना मासिक भुगतान के प्रति ₹97.60 करोड़ शामिल थे।

3.1.6.1 मुख्य पैकेजों का क्रियान्वयन

कम्पनी ने **अनुलग्नक-VIII** में वर्णित अनुसार नवम्बर 2013 से अप्रैल 2015 के बीच नियत पूर्णता अवधि के साथ जनवरी 2011 से नवम्बर 2012 तक की समयावधि के दौरान नौ प्रमुख पैकेज दिए। हमने पाया कि, नियत पूर्णता तिथियों के बाद 32 माह से 49 माह के बीच विलम्ब के पश्चात भी कोई भी प्रमुख पैकेज पूर्ण नहीं हुआ था (31 दिसम्बर 2017 तक)। पैकेज-8 (लाइम तथा डोलोमाइट प्लांट) जिसमें केवल 45 प्रतिशत प्रगति थी, को छोड़कर प्राप्त की गई प्रत्यक्ष प्रगति 85 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत के बीच थी। किसी भी पैकेज के लिए सिविल/संरचनात्मक ड्राइंग की प्रस्तुति तथा स्वीकृति पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई थी। सलाहकार द्वारा बनाए गए (दिसम्बर 2017) नए परियोजना मूल्यांकन तथा समीक्षा तकनीक (पीईआरटी) नेटवर्क कार्यक्रम के अनुसार, ये पैकेज सभी संदर्भों में अगस्त 2019 तक पूर्ण होने के लिए अपेक्षित थे। पूर्णता में विलम्ब का कारण श्रमबल तथा सामग्री के अपर्याप्त नियोजन, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्रियों की गैर-क्रमिक आपूर्ति तथा कार्य स्थलों के उपलब्ध न होने की वजह से धीमी प्रगति था। अनुबंध में दंडात्मक धाराएं निहित थी, जैसे कि अधिकतम 10 प्रतिशत का जुर्माना/एलडी लगाना और ठेकेदार पर आरोप्य देरी/खामियों के प्रति जोखिम और लागत खंड। इन धाराओं के अनुसार सलाहकार द्वारा देरी का विश्लेषण किये जाने के आधार पर अनुबंध की समाप्ति के पश्चात कार्रवाई की जाएगी।इन पैकेजों के क्रियान्वयन में प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

कम्पनी ने समय विलम्बों के संदर्भ में प्रमुख पैकेजों के क्रियान्वयन पर कोई टिप्पणी नहीं दी (मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा टिप्प्णी को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने (जुलाई 2018) कहा कि ऐसे पैकेजों की पूर्णता में विलम्ब को ठेके के प्रावधानों के आधार पर निपटाया जाएगा।

(क) पैकेज-1 कच्चा माल हैंडलिंग प्रणाली (आरएमएचएस)

आरएमएचएस पैकेज के प्रधान ठेकेदार, बीएचईएल ने कन्वेयर व जंक्शन हाउस कार्य (मैसर्स टेक्प्रो सिस्टम्स को) और इमारत के सिविल और संरचनागत कार्य (मैसर्स प्रसाद एन्ड कंपनी को) से संबन्धित उप-पैकेजों को दिया। जून 2013 में मैसर्स टेक्प्रो सिस्टम द्वारा कन्वेयर

और जंक्शन हाउस कार्य के कार्यान्वयन के अवरोध के कारण बीएचईएल ने बचे हुए कार्य को 6 विभिन्न उप पैकेजों में बांट दिया और पुन: निविदा (दिसम्बर 2013) की और 6 विभिन्न ठेकेदारों को (सितम्बर और नवम्बर 2014) कार्य दिया गया। ठेकेदारों द्वारा श्रमबल की अपर्याप्त तैनाती और सामग्री और उपकरणों की अनियमित रुप से आपूर्ति के कारण कार्य की धीमी प्रगति के अलावा कार्य के निष्पादन में समस्त देरी के कारण 17 महीने का समय लिया।

मैसर्स टेक्प्रो द्वारा कन्वेयर और जंक्शन हाउस के गैर-निष्पादित भाग की पुन: निविदा में विलम्ब को कम करने के प्रयासों के बारे में प्रबंधन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि मैसर्स टेक्प्रो के असामयिक निकास से बडे स्तर पर यांत्रिकता और संरचनागत डिजाईन इनपुट की बेमेल/अप्राप्यता हुई जिससे मैसर्स टेक्प्रो के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कार्य क्षेत्र के विरूद्ध अंतिम रूप देने में और अनुवर्ती कई अनुबंध देने को लेकर विलम्ब हुआ।

(ख) पैकेज-8 लाइम और डोलोमाइट कालिसनेशन प्लान्ट

अनुबंध (अप्रैल 2013) के अनुसार कार्य को कई भागों में बांट दिया गया और जिसे कनसोर्टियम ऑफ सिनोकालसी कार्पोरेशन, चीन, चोंगकींग च्यून्यी ऑटोमेशन क. लि. चीन और लाक्सन्स ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। चूंकि चोंगकींग च्यून्यी ऑटोमेशन क. लि. चीन द्वारा विद्युत सामग्री की आपूर्ति से संबंधित कार्य को कई समरण-पत्र भेजने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कंपनी ने दिसम्बर 2015 में ठेकेदार को समाप्ती नोटिस जारी किया। ठेकेदार ने समाप्ती नोटिस के खिलाफ दावा किया और मध्यस्थता की मांग की। पुन: निविदा के बिना सिनोकालसी कोर्पोरेशन, चीन (मशीनरी काम के आपूर्तीकार) नामक अन्य सहायता संघ को कार्य स्थानांतरित किया गया (11 नवम्बर 2016)। इस प्रक्रिया ने 9 महीने लिये जो कार्य की धीमी प्रगति के अलावा विलंब का महत्वपूर्ण कारण है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि सिनॉकालसी द्वारा समान कार्यों को निष्पादित करने और मिकोन द्वारा उसकी संवीक्षा करनें के लिए प्रत्ययपत्र की प्रस्तुती में विलम्ब के कारण विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) विलम्ब को अनुबंधों के प्रावधानों के आधार पर अंतिम देरी विश्लेषण के समय उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

3.1.6.2 सहायक पैकेजों का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 से जनवरी 2017 के दौरान दिये गये 13 सहायक पैकेजों (जैसे उर्जा रसाव, संपीडित वायु प्रणाली और सयंत्र में और सयंत्र के बाहर जल वितरण आदि) की समीक्षा की। जेसे कि **अनुलग्नक-VIII** में विस्तृत रूप से बताया है कि इन 13 पैकेजों के लिए अनुसूचित पूर्णता अवधि दिसम्बर 2014 से जुलाई 2018 के बीच थी। फरवरी 2017 तक इनमें से 9 पैकेज पूरे किए जाने थे। यह देखा गया (31 दिसम्बर 2017) कि 10 महीने से 36 महीने के बीच के विलम्बित अवधि के बाद भी 9 में से किसी भी सहायक पैकेजों को पूर्ण नहीं किया गया था। 68 *प्रतिशत* से 98.5 *प्रतिशत* तक की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई। परामर्शदाता द्वारा तैयार (दिसम्बर 2017) नवीनतम पर्ट नेटवर्क अनुसूची के अनुसार सभी तरह से अगस्त 2018 और अप्रैल 2019 के बीच इन पैकेजों को पूर्ण करना अपेक्षित था। बाद में, यह देखा गया कि एम्बिएन्ट एयर मोनिटरिंग सिस्टम, प्लान्ट वाईड नेटवर्किंग आदि के कुछ पैकेजों के लिए कंपनी को आर्डर देना था जबकि पर्ट चार्ट के अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने का अनुमानित समय मार्च 2020 तक था। हालांकि कंपनी ने इस कार्य को दिसम्बर 2017 तक प्रवर्तन में लाने का मंत्रालय को वचन दिया था जो अवास्तविक प्रतीत होता है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त संसाधन, तैनात श्रमबल, इंजीनिरिंग में विलम्ब, अनुक्रमिक तरीके से आपूर्ति में विलम्ब, ठेकेदारों को काम मोर्चा के उपलब्ध कराने में विलम्ब, प्रवेश कुओं के निर्माण के दौरान कोफर डैम के असफल हो जाने और ठेकेदार को कार्य क्षेत्र उपलब्ध करवाने में हुई देरी के कारणों से विलम्ब हुआ।

हमने देखा कि इंजिनीरिंग, सामग्री की अन-अनुक्रमिक तरीके से आपूर्ति, कार्य क्षेत्र की उपलब्धी आदि कारकों के कारण विलम्ब प्रकृति से नियंत्रित करने योग्य था और जिसे पीएमसी सलाहकार/कंपनी द्वारा उचित समन्वय और निगरानी के साथ संबोधित या कम किया जा सकता था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि वर्तमान में अधिकतम पैकेजों में कार्य अच्छी गति से प्रगतिशील है। नियमित उच्च स्तरीय बैठकें, ठेकेदार और मेकोन के बीच में चर्चा, कार्यान्वयन दल/सलाहकार द्वारा विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए साइट पर दिन प्रतिदिन फोलोअप के प्रयास किए गए थे।

3.1.6.3 संरचना पैकेजों का कार्यान्वयन

जून 2012 से सितम्बर 2018 तक की निर्धारित समापन अवधि के साथ जून 2011 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान दिये गए पांच अवसंरचना पैकेजों की जांच की गई। स्टुडियो अपार्टमेन्ट-2 नामक एक पैकेज को जून 2012 तक का समापन समय था जिसका ठेकेदार ने नवम्बर 2015 तक के समय के विस्तार के बावजूद भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया। मुद्दा मध्यस्थता के अधीन था और कार्य को अन्य ठेकेदार को सौंप दिया गया। शेष 4 पैकेज में से दो जिन्हें अक्टूबर 2017 से पहले पूरा होने के लिए अनुसूचित किया गया था अभी तक लंबित थे और दिसम्बर 2017 तक केवल 52 प्रतिशत की ही प्रगति हासिल हुई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि स्टुडियों अपार्टमेंट-2 से संबंधित ठेके को समाप्त कर और नए ठेकेदारों की नियुक्ति से दिसम्बर 2018 तक शेष कार्य पूरा होने की उम्मीद है।

3.1.6.4 सक्षम बनाने के पैकेजों का कार्यान्वयन

दिसम्बर 2010 से अगस्त 2016 तक की अवधि के दौरान दिए गए आठ सक्षम बनाने वाले पैकेजों की समीक्षा की गयी। इन आठ पैकेजों की निर्धारित समाप्ति अवधि दिसम्बर 2011 से सितम्बर 2017 के बीच थी जैसे कि **अनुलग्नक-VIII** में दिये हैं और तीन पैकेजों को 12 महीने से 41 महीने की देरी के साथ की पूर्ण किया गया था। एक पैकेज अर्थात निर्माण जल अनुबंध को 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जून 2016 में समाप्त कर दिया गया था। कंपनी ने शेष कार्य को अभी तक किसी अन्य ठेकेदार को नहीं दिया। अन्य पैकेज अर्थात बाउन्ड्री वाल एन्ड वाच टावर के निर्माण को 64 प्रतिशत का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मई 2015 में समाप्त कर दिया गया था। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्य दिया जाना अभी बाकी था। 3 से 16 महीने तक की लक्षित समापन तिथियों में देरी के बाद भी शेष तीन पैकेज कार्य की प्रगति 29 प्रतिशत और 52 प्रतिशत के बीच थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि वाटर और बाउन्ड्री वाल संबंधित कार्य आदेश समाप्त कर दिए गए और पुन: निविदा प्रगति पर थी। शेष तीन पैकेजों के कार्यान्वयन में विलम्ब के बारे में प्रबंधन ने कोई टिप्पणी पेश नहीं की।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि संबंधित अनुबंधों में शर्त के अनुसार इस तरह के पैकेजों को पूरा करने में देरी का निपटारा किया जाएगा।

3.1.6.5 रेलवे पैकेजों का कार्यान्वयन

सितम्बर 2015 से अप्रैल 2016 की अवधि के दौरान दिए गए तीन रेलवे पैकेजों को मई 2017 तक पूर्ण किया जाना था जैसे कि **अनुलग्नक-VIII** में विवरण दिया गया है। यह देखा गया कि इसमें से कोई भी पैकेज को 31 दिसम्बर 2017 तक पूर्ण नहीं किया गया था। कार्य की भौतिक प्रगति केवल 35 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक ही थी।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि रेलवे द्वारा साइट क्लियरेन्स की मंजूरी, मानसून के दौरान जल भराव के कारण आगे कार्य को सौपने में देरी और साइट स्थितियों के अनुसार डिजाइन और फाउन्डेशन ड्राईंग में परितर्वनों के कारण रेलवे पैकेजों में विलम्ब हुआ।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि इस प्रकार के पैकेजों के पूरा होने में देरी को संबंधित ठेकों के अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

3.1.7 एनआईएसपी के लिए निर्माण ऊर्जा का गलत मूल्यांकन

परामर्शदाता के सुझाव के आधार पर कंपनी ने निर्माण और संरचना कार्यों के लिए 27 मेगा वॉल्ट एम्पियर (एमवीए) और केवल निर्माण कार्य के लिए 17 एमवीए अधिकतम निर्माण ऊर्जा की आवश्यकता के मूल्यांकन पर मंजूरी दे दी (मई 2009) और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के साथ 132 किलो वॉल्ट (केवी) लाइन के माध्यम से क्रमश: 27 एमवीए पावर के आहरण के लिए, जिसका विवरण निम्नलिखित है, अनुबंध किया (मार्च 2010)।

तालिका 3.3 - नगरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए आहरित करने हेतु प्रस्तावित चरणबध निर्माण उर्जा

चरण	बिजली की इकाइयों को खींचा जाना चाहिए	आरंभ करने की तिथि
पहला चरण	5 एमवीए	करार की तिथि
दूसरा चरण	10 एमवीए	करार की तिथि से 2 माह बाद
तीसरा चरण	27 एमवीए	करार की तिथि से 11 माह बाद

सीएसपीडीसीएल ने कंपनी को सूचित किया (जुलाई 2013) कि 24 जुलाई 2013 तक उर्जा मीटर स्थापित किये गये थे और इसलिए करार के अनुसार बिजली उपलब्ध हो जाएगी और यदि 23 अक्टूबर 2013 तक बिजली लेने में असफलता हुई तो नोटिस की तिथि के बाद की तिथि से लागू न्यूनतम गारंटी शुल्क की लेवी लागू होगी। सीएसपीडीसीएल ने 5 एमवीए (अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2013) और 10 एमवीए (जनवरी 2014 से अक्टूबर 2016) के लिए संविदा मांग हेतु बिल दर्शाये। तथापि, दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान निर्माण के लिए प्राप्त की गई वास्तविक पावर 1.08 एमवीए और 2.70 एमवीए के बीच थी। सीएसपीडीसीएल के उपर्युक्त अनुबंध को देखते हुए निर्माण में पावर की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एनएमडीसी ने परामर्शदाता को निर्देश दिया (फरवरी 2014)। परामर्शदाता के निर्देशानुसार एनएमडीसी ने बिजली के लिए अनुबंधित मांग में 27 एमवीए से 8 एमवीए तक कम करने का अनुरोध किया (मार्च 2014)। तथापि, सीएसपीडीसीएल ने सूचना दिया (अप्रैल 2014) कि संवादात्मक करार/सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) के आपूर्ति कोड विनियम के शर्त पर करार के शुरू होने की तिथि से प्रारंभ दो साल की अवधि के दौरान एनएमडीसी 50 प्रतिशत यानि केवल 13.5 एमवीए तक की कमी की मांग कर सकता है। इसलिए, एनएमडीसी ने 01 अक्टूबर 2014 से 13.5 एमवीए की अधिकतम अनुवांछित मांग के साथ अनुपूरक करार किया (नवम्बर 2014)। इसके बाद, दिसम्बर 2016 से अधिकतम अनुबंधित मांग 13.5 एमवीए से 5 एमवीए तक कम कर दिया गया।

हमने देखा कि दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 के बीच की अवधि के दौरान वास्तविक बिजली का उपभोग 1.08 एमवीए से 2.70 एमवीए के बीच था। प्रारंभ में एनएमडीसी द्वारा निर्माण की ऊर्जा आवश्यकता के अनुमान में बहुत ज्यादा चूक थी, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि अंत में 27 एमवीए के आरंभिक अनुमान से एनएमडीसी ने अपनी

बिजली की आवश्यकता 5 एमवीए तक कम कर दी। फलस्वरूप, एनएमडीसी ने दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 की अवधि में न्यूनतम मांग राशि के प्रति ₹8.91 करोड़[28] का परिहार्य व्यय किया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि समान परियोजना में पूर्व अनुभव पर आधारित अधिकतम मांग को ध्यान में रखते हुए 27 एमवीए बिजली की मांग का मूल्यांकन मेकॉन (परामर्शदाता) ने किया था। तथापि, कई कारणों से परियोजना की कार्यान्वयन अवधि अधिक लम्बे समय के लिए बढ़ाई गई जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य के लिए अधिकतम बिजली की मांग में कमी हुई। सीईआरसी के आपूर्ति कोड के तहत मेकॉन के पुन: मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम बिजली की मांग धीरे धीरे 5 एमवीए तक कम हो गई।

कम्पनी के उपरोक्त तर्क के बावजूद, कंपनी को 4 एमवीए[29] की न्यूनतम अनुबंध मांग के साथ सीएसपीडीसीएल के साथ करार करने का विकल्प था क्योंकि करार के अनुसार बाद में बिजली की मांग में कोई भी वृद्धि हुई तो अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि के भुगतान के साथ अनुमति मिल सकती है और पूरक करार में प्रवेश कर सकते हैं। इस अवसर का उपयोग न करने पर कंपनी को न्यूनतम मांग राशि पर ₹8.91 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

3.2 पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरा खनन

लौह अयस्क बिक्री के आलावा, कंपनी मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले के मझगांव में प्रति वर्ष एक लाख कैरेट की उत्पादन क्षमता के साथ डायमंड खनन का कार्य भी करती है। उत्पादित हीरे में प्रथक-प्रथक मणि/ पैकेट, बदरंग प्रथक/पैकट, औद्योगिक प्रथक/पैकट होते हैं। डायमंड खनन पारियोजना में मुख्य खनन पट्टा (113.332 हेक्टेयर) और पूरक पट्टा (162.631 हेक्टेयर, 74.018 हेक्टेयर वन भूमि के साथ) शामिल थे। दोनों पट्टे वन्यजीवी अभ्यारण्य क्षेत्र अर्थात पन्ना टाइगर

---

[28] *करार के आधार पर (10 एमवीए, 13.5 एमवीए) 75% के अनुबंधित अधिकतम मांग के अनुसार न्यूनतम चार्ज किए जाने वाले मांग एवं उपक्षेत्र से 132 के वी ए का वोल्टेज टैरिफ अधिसुचना के आधार पर तय होने वाली 4 एमवीए के सीएमडी के अनुसार न्यूनतम चार्ज किए जाने वाली मांग के बीच का अंतर।*

[29] *छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण बोर्ड 132 केवी से बिजली वितरण प्रणाली से (जो प्लान्ट में परिचालित करते थे), 4 एमवीए से 40 एमवीए तक का न्यूनतम और अधिकतम बिजली वितरण प्रदान करते हैं।*

रिजर्व के अंतर्गत आते थे। मुख्य खनन पट्टा क्षेत्र में 'टफ[30]' का निष्कर्षण होता था और पूरक पट्टा क्षेत्र में टफ प्रसंस्करण संयत्र और अन्य अवसंरचना सुविधाएं स्थापित थी। 15 जुलाई 1965 से डीएमपी में खनन की गतिविधियां आरंभ की गई। मुख्य पट्टा और पूरक पट्टा क्रमश: 14 जुलाई 2025 और दिसम्बर 2020 तक वैध थे। इस प्रकार, हालांकि, जुलाई 2025 तक कंपनी मुख्य खनन पट्टा क्षेत्र से टफ का निष्कर्षण कर सकती है, दिसम्बर 2020 के बाद पूरक खनन पट्टे से संसाधित करने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि पूरक खनन लीज दिसम्बर 2020 तक वैध होगी।

3.2.1 भौतिक प्रदर्शन

निम्नलिखित तालिका 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान के भौतिक लक्ष्य के साथ-साथ वास्तविक प्रदर्शन निर्धारित करती है:

तालिका 3.4 - हीरा खनन में भौतिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि

वर्ष	ओवरबर्डन (क्यूबिक मीटर)		टन में टफ (अयस्क)				हीरे का उत्पादन (कैरट में[31])	
			खदान के लिए		संसाधन हेतु			
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
2012-13	शून्य	213379	शून्य	240604*	शून्य	187128*	शून्य	31533.39
2013-14	शून्य	873	500000	225057*	450000	200499*	45000	37081.70*
2014-15	शून्य	64518	500000	269764*	450000	199239*	45000	35085.46*
2015-16	शून्य	687	350000	278522*	350000	300693*	35000	35558.31*
2016-17	शून्य	167	350000	298993*	350000	280752*	35000	35611.07*

(*) **वास्तविक आंकड़े वित्तीय विवरण से प्राप्त किये गये हैं।**

हमने देखा कि ओवरबर्डन को हटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गऐ थे। 2015-16 और 2016-17 में ही इकाई हीरा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकी और किसी भी वर्ष में खनन और टफ के उपचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार गढ्ढे की परिधि/बाद के विस्तार के लिए

---

[30] *हीरा खनन के दौरान निकाले गए खनन के भाग को टफ कहा जाता है। टफ के प्रसंस्करण पर हीरा प्राप्त होता है।*

[31] *कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर है।*

कोई गुंजाइश नहीं होने पर व्यर्थ खनन की आवश्यकता नहीं थी इसलिए 2014-15 से 2016-17 के दौरान ओवरबर्डन को हटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। इसलिए खनन और टफ के निष्कर्षण से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए लेकिन डायमंड के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त हो गए थे।

3.2.2 अंतिम स्टॉक का अधिक संचय

प्रत्येक वर्ष के अंत में बचे हुए हीरों के नहीं बिके हुए स्टॉक और टफ की असंसाधित मात्रा के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5 - हीरों और टफ के अंतिम स्टॉक का वर्षवार विवरण

वर्ष	हीरे कैरेट में				बिना बिके हुए स्टॉक का मूल्य (₹ करोड़ में)	टफ (टन में)		
	उत्पादन	विक्रय	बिना बिका स्टॉक	उत्पादन का %		उत्पादन	संसाधित मात्रा	संसाधित नहीं किया हुआ स्टॉक
आदि शेष	---	---	11603.06					
2012-13	31533.39	17862.57	25273.88	80	25.27	239925	187128	528273
2013-14	37081.70	43487.63	18867.95	51	25.03	225057	200499	552831
2014-15	35085.46	38788.58	15164.83	43	27.19	269764	199239	623356
2015-16	35558.31	36682.93	14040.21	39	26.02	278522	300693	601185
2016-17	35611.07	25631.46	24019.82	67	32.94	298993	280752	619425
	प्रति वर्ष संसाधित टफ की ऑसत मात्रा						**233662**	

यह देखा जा सकता है कि टफ की असंसाधित मात्रा के अलावा हीरे के बिना बिके स्टॉक की भारी मात्रा, जो कि अपने उत्पादन के 39 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच थी, प्रत्येक वर्ष के अंत में पड़ी हुई थी। पांच वर्ष के दौरान संसाधित टफ की वार्षिक औसत दर 2.33 लाख टन थी और 31 मार्च 2017 के अंत तक उपलब्ध टफ की मात्रा को संसाधित होने में 2 वर्ष 8 माह का समय लगेगा।

प्रबंधन/मंत्रालय ने कहा (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- औद्योगिक ग्रेड हीरे की कम खरीद और बाजार में प्रयोगशाला में बने हीरे की अधिशेष उपलब्धता को देखते हुए बिना बिके स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

- मौजूदा पुरानी तकनीक और सफेद टफ की चिपचिपी प्रकृति के कारण सफेद टफ का असंसाधित स्टॉक काफी था (कुल अंतिम स्टॉक का 67 प्रतिशत) और इसे संसाधित करने के लिए वैकल्पिक तकनीक के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जा रही थी।

लेखापरीक्षा का विचार है कि 2020 में पूरक खनन पट्टे के समाप्त होने के पहले शेष निकाले गए टफ के संसाधन को पूर्ण किया जा सके, इसके लिए कंपनी को अपनी संसाधित योजना को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

3.2.3 वित्तीय निष्पादन

लक्ष्य प्राप्ति में असफलता के फलस्वरूप समीक्षा के तहत सभी वर्षों में हीरे की औसत उत्पादन लागत निवल वास्तविक मूल्य से अधिक रही। इस दृष्टि से 2016-17 के अंत में हीरा खनन योजना (डीएमपी) की निवल हानि ₹27.16 करोड़ थी जो 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान हुई हानि की तुलना में अधिकतम थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.6 - वर्ष वार हीरे के उत्पादन की औसत लागत और हीरे का निवल वास्तविक मूल्य

वर्ष	प्रति कैरेट उत्पादन की औसत लागत (₹)	प्रति कैरेट निवल वास्तविक मूल्य (₹)	प्रति कैरेट (हानि)/लाभ (₹)	निवल लाभ/(हानि) (₹ लाख में)
2012-13	16,820	15,960	-860	237.05*
2013-14	16,725	11,463	-5,262	(1679.75)
2014-15	15,816	12,906	-2,910	116.07*
2015-16	16,829	14,341	-2,488	(1274.73)
2016-17	20,420	16,505	-3,915	(2716.34)

(*गैर-परिचालनात्मक आय और व्यय एवं तैयार माल व वर्क-इन-प्रोग्रैस में हुए परिवर्तन के समायोजन से आए सकारात्मक प्रभाव के कारण 2012-13 व 2014-15 के दौरान निवल लाभ हुआ)

हीरे की बिक्री के लिए नीलामी के आयोजन में सतत नीति की कमी के कारण मुख्य रूप से निवल हानि हुई। 31 मार्च 2017 को समाप्त 5 साल की अवधि के दौरान डीएमपी ने 26 नीलामियों का आयोजन किया था। इसके अलावा पिछले 5 वर्ष के दौरान 36,606 कैरेट और 51,071 कैरेट के बीच की प्रस्तुत मात्र के प्रति विक्रय मात्रा 22,006 कैरेट और 40,831 कैरेट के बीच थी, जो कम बिक्री का संकेत है। नियतकालीन नीलामी (जैसे कि

मासिक/तिमाही आदि) करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 2015-16 के दौरान केवल 3 नीलामियों का आयोजन किया गया था।

यह देखा गया था कि:

(i) 31.03.2017 तक कंपनी के पास पृथक, रंग रहित, गहरे भूरे रंग के हीरों को शामिल करते हुए 24,019.82 कैरेट की नहीं बिका हुआ स्टॉक था।

(ii) हीरे की बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाने और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने और विक्रयों को बढ़ाने के उद्देश्य से पारंपरिक नीलामी आयोजन करने के स्थान पर सीमित निविदा पूछताछ (एलटीई) के आधार पर ई नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा मार्च 2015 से ई-नीलामी के माध्यम से कंपनी ने बिक्री का आयोजन करने का निर्णय लिया। ई-नीलामी बिक्री के कार्यान्वयन के बावजूद यह देखा गया था कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्राकृतिक हीरे की तुलना में कम दाम में समान गुणवत्ता वाले प्रयोगशाला के हीरे (कृत्रिम हीरे) की उपलब्धता के कारण बिक्री गिरावट का संकेत दर्शा रही थी।

(iii) अक्टूबर 2014 में बनाए गए एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) पर बोर्ड द्वारा की गई सिफ़ारिशों, कि यदि एक ही माल 5 लगातार नीलामियों के बाद भी नहीं बिकता तो आरक्षित मूल्य का पुनर्निर्धारण हो व बचे हुए स्टॉक की बिक्री निविदाओं/विशेष निविदाओं द्वारा हो, को कार्यान्वित नहीं किया गया।

(iv) हीरे के आंतरिक मूल्यांकन की बेचमार्किंग और तुलनात्मक आंकलन के लिए सतर्कता विभाग के सुझावों के आधार पर अपरिष्कृत हीरे के मूल्यांकन के लिए तृतीय पक्ष की सहायता लेने का प्रस्ताव वाणिज्यिक विभाग ने दिया था (अप्रैल 2014)। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद के सुझावों के आधार पर कंपनी ने स्वतंत्र मूल्य निर्धारिकों के पैनल के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का चयन करने का निर्णय लिया था। हालांकि, इस कदम का नतीजा उसके तार्किक अंत तक नहीं पहुँचा।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि:

- कम ई-नीलामी के कारण सेवा प्रदाता की नियुक्ति में देरी और अन्य कारक जैसे अपरिष्कृत हीरे की उपलब्धता, बिक्री चक्र सहित बाजार की मांग थे। इसे ध्यान में रखते हुए एक वर्ष में चार से पांच नीलामी की जाती है।
- मौजूदा एसओपी (2012-14) की समीक्षा करने के लिए नियुक्त बोर्ड स्तरीय उपसमिति ने ई-नीलामी की आवर्ती व स्थान, अनुकूलतम लेवल को 10,000 कैरेट के सर्वोत्तम स्तर को अनुरक्षित करने और तृतीय पक्ष मूल्य निर्धारक द्वारा मूल्यांकन, पर कई प्रकार के उपायों का सुझाव दिया था।
- मूल्य-निर्धारक के कर्मचारी/रिश्तेदार की गैर भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाइयों और आरक्षित मूल्य को गोपनीय रखने की कठिनाई के कारण स्तवंत्र मूल्यांकक का निर्णय नहीं किया जा सका।

हमारे विचार में कंपनी को गोपनीयता बनाये रखने के लिए उपयुक्त संरक्षण खण्डों को पूर्ण रूप से शामिल करने की प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता है जो विश्वसनीय तृतीय पक्ष हीरा मूल्यांकक को चुनना सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि कंपनी द्वारा हीरों के लिए पुनरीक्षित एसओपी कार्यान्वयन प्रक्रिया में था। एसओपी नीलामी और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता के मामलो को सम्बोधित करेगा।

3.3 एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड

दक्षिण बस्तर जिले के बीच बैलादिला लौह अयस्क श्रेणी में स्थित डिपोजिट-13 के विकास के लिए कंपनी ने छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी), एक छत्तीसगढ़ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के साथ क्रमश: 51:49 की शेयरधारिता के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड (एनसीएल) का गठन किया। राज्य में स्थित इस्पात स्पंज और पैलेट संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता/मांग को पूर्ण करने के उद्देश्य से डिपोजिट-13 का विकास किया था। कंपनी ने मार्च 2004 में खनन पट्टे के लिए आवेदन दिया जिसके लिए 13 वर्ष की देरी के बाद केवल जनवरी 2017 में वन मंजूरी प्राप्त हुई थी। एसएमपी ने 2018-19 से इस खदान से 2 एमटीपीए के

उत्पादन की परिकल्पना की थी। डिपोजिट 13 के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी मिलने में देरी के कारणों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की हैं।

3.3.1 डिपोजिट-13 के लिए वन मंजूरी चरण-I प्राप्त करने में विलम्ब

कंपनी ने 613.24 हेक्टेयर भूमि के लिए वन मंजूरी चरण-I के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था (जनवरी 2003)। वन संरक्षण नियम 2003 के नियम 6 के अनुसार दिये गये 90 दिनों की निर्धारित अवधि के संबंध में रायपुर के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एपीसीसीएफ) द्वारा बताई गई कमियों पर ध्यान देने में डीएफओ दंतेवाडा को 15 माह से भी अधिक का समय लगा। एमओईएफएंडसीसी के निर्देशानुसार (फरवरी 1999) भारतीय खान ब्यौरो (आईबीएम) के द्वारा संस्वीकृत खान योजना का प्रस्तुतिकरण पूर्वापेक्षी था। इस आवश्यकता को राज्य सरकार के अनुरोध (नवम्बर 2004) पर कंपनी केवल अक्टूबर 2008 अर्थात चार वर्ष के विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत कर सकी। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2010 में वन्यजीव संरक्षण योजना के प्रस्तुतीकरण के बाद एमओईएफएंडसीसी को 10 माह के बाद पीसीसीएफ/राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया (नवम्बर 2010)। तीन माह की अनुबंधित समय अवधि के प्रति अगस्त 2011 में वन सलाहकार समिति (एफएसी) को प्रस्ताव संसाधन/प्रेषण करने में एमओईएफएंडसीसी की ओर से 9 माह का विलम्ब हुआ। उच्च जैवविविधता और पहाड़ी इलाके वाले अबाधित वन प्रदेश में स्थित क्षेत्र होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। जनवरी 2012 में 60 दिन की अनुबंधित अवधि के प्रति 135 दिन के विलम्ब के बाद एमओईएफएण्डसीसी द्वारा अस्वीकृति को सूचित किया गया था। प्रारंभिक अस्वीकृती के बावजूद कंपनी ने अप्रैल 2014 के दौरान एफएसी को अपना मामला पुन: प्रस्तुत किया जिसके बाद नवम्बर 2014 में चरण-I एफसी जारी किया गया। एफएसी ने चरण-II एफसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय चरण-I वन मंजूरी में कुछ शर्तों का अननुपालन देखा। एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण करने के बाद विभाग ने डिपोजिट-11 एवं डिपोजिट-14 के ओवरबर्डन डम्प के अनुचित प्रबंधन, जिसके परिणामस्वरूप निकटवर्ती वन भूमि को क्षति पहुँची थी, हेतु ₹14.31 करोड़ के दांडिक क्षतिपूर्ति वनरोपण प्रभार के रूप में शास्ति लगाई। जुलाई 2016 में वनरोपण प्रभारों के भुगतान पर, एमओईएफएण्डसीसी द्वारा चरण-II वन मंजूरी अंतत: जनवरी 2017 में दे दी गई थी। अत: कंपनी को राज्य वन विभाग तथा एमओईएफएण्डसीसी

की तरफ से विलम्बों के कारण, डिपोजिट-13 हेतु खनन पट्टा प्राप्त करने में लगभग 14 वर्ष लगे।

3.3.2 डिपोजिट-13 हेतु पर्यावरण मंजूरी में विलम्ब

कंपनी मई 2015 में पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्राप्त कर सकी। हालांकि, इसी मामले पर एमओईएफएण्डसीसी की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा काफी पहले फरवरी 2011 में सिफारिश की गई, फिर भी ईसी को स्टेज-I वन मंजूरी प्राप्त करके ही जारी किया गया था जो नवम्बर 2014 में प्राप्त हुई थी। अत: स्टेज-I वन मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विलम्ब हुआ। कंपनी ने एनसीएल के नाम पर खनन पट्टा हस्तातंरित कर दिया था। तथापि एनसीएल के नाम पर ईसी/एफसी जैसी सभी अन्य अनुमति अभी हस्तातंरित की जानी थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के समय पर यह देखा गया कि जेवी कंपनी को अभी स्थापना हेतु सहमति तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से प्रचालन हेतु सहमति अभी प्राप्त करनी थी। प्रस्तावित खान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति की कार्रवाई भी लंबित थी। इसके परिणामस्वरूप एसएमपी - विज़न 2025 में परिकल्पित रूप में 2018-19 तक डिपोजिट-13 से 2 एमटीपीए लौह आयस्क के लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने की संभावना निराशाजनक प्रतीत होती है।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि:

- डिपोजिट-13 के संबंध में दंडिक क्षतिपूरक वनरोपण प्रभारों का भुगतान वन महानिदेशक, एमओईएफएण्डसीसी के कहने पर चरण-I एफसी की शर्त (iii) को पूरा करने के लिए किया गया था, कि क्षेत्र के वन भूमि होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 आईबीएम नियमों और विनियमों से अधिक महत्वपूर्ण होगा।
- डिपोजिट-13 के संबंध में स्थापना हेतु सहमति 17 अक्टूबर 2017 को प्राप्त कर ली गई थी और खनन पट्टा जेवी कंपनी को हस्तातंरित कर दिया गया था। ईसी के अंतरण का आवेदन एमओईएफएंडसीसी को प्रस्तुत किया गया और ईसी के अंतरण

के पश्चात जेवीसी परिचालन करने की अनुमति और संस्थापन की अनुमति प्राप्त कर लेगी।

- खदान विकासक-सह-परिचालक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी और वि.व. 2018-19 में खनन परिचालन आरंभ होने वाले थे तथा बैलाडिला में वर्तमान लौह-अयस्क खदानें नगरनार में स्टील संयंत्र के लिए लौह-अयस्क आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षतिपूर्ति वनरोपण देय प्रभार एफसी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाए गए थे जो कि आरओ, भोपाल और नागपुर, एमओईएफएंडसीसी द्वारा कार्यस्थल निरीक्षण का परिणाम था। यदि ओवरबर्डन का ढ़ेर उचित प्रकार से व्यवस्थित किया जाता तो दंड प्रभारों से बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए 99.466 हेक्टेयर भूमि के संबंध में सांविधिक मंजूरी (ईसी/एफसी) के लिए आवेदन किया था (सितम्बर 2015)। चूँकि ये मंजूरियां लंबित थी, इसलिए खदान विकासक-सह-परिचालक के लिए यह संभव नहीं था कि वह उपलब्ध की जाने वाली अवसंरचनाओं के बिना परिचालन आरंभ कर सके। केके लाईन और स्लरी पाईप लाईन की दोहरीकरण जैसी निकासी सुविधाएं अधूरी रहने के कारण वर्तमान खदानों से अयस्क की आपूर्ति पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2018) कि बैलाडीला क्षेत्र उच्च वर्षा संभावित क्षेत्र हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान अपशिष्ट चट्टान के ढ़ेर से सामग्री का क्षरण, उसको पट्टा क्षेत्र तक सीमित रखने के लिए किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, हो गया था। खदान विकासक सह परिचालक (एमडीओ) की नियुक्ति 25 वर्षों की अवधि के लिए हुई थी तथा आरंभिक 5 वर्षों में एमडीओ द्वारा अवसंरचना सुविधाऐं निर्मित की जाएगी। ऐसी अवधि तक, छोटे स्तर पर खनन के माध्यम से उत्पादन किया जाएगा।

3.4 पलोनचा, तेलंगाना में स्पंज आयरन यूनिट

इस्पात मंत्रालय के कहने पर कंपनी ने 60,000 टन प्रति वर्ष स्पंज आयरन की क्षमता पर संस्थापित एक नुकसान उठाने वाली सीपीएसई स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल) का अधिग्रहण किया था (जुलाई 2010)। उत्पादन की उच्च लागत, कम उगाही, संयंत्र का पुराना हो जाना और खराब विपणन क्षमता के कारण स्पंज आयरन उत्पादन अलाभकारी हो गया था और 31 मार्च 2017 तक स्पंज आयरन यूनिट (एसआईयू)

ने ₹194.77 करोड़ तक की हानि संचित की। इन कारणों से, नवम्बर 2016 के बाद से एसआईयू ने उत्पादन बंद कर दिया था। कम्पनी ने अपनी प्रतिवर्तन योजना में (01 अक्टूबर 2015) स्पंज आयरन आदि के लिए मरम्मत और अनुरक्षण लागत को घटा कर और अति महत्वाकांक्षी विपणन से कम्पनी ने बैलाडीला क्षेत्र से एसआईयू के लिए लौह अयस्क की परिवहन लागत को कम करके उत्पादन लागत में कमी करने के लिए समिति के निदेशकों के द्वारा एक जांच कराने का प्रस्ताव दिया था। इसके अतिरिक्त, तापीय और सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए उपलब्ध भूमि (428.98 एकड़) का उपयोग करने का प्रयोजन किया था जिसको अभी कार्यान्वित किया जाना था। यह देखा गया कि कम्पनी ने जैसा उल्लिखित किया गया उसी अनुसार प्रतिवर्तन योजना को कार्यान्वित नहीं किया और जुलाई 2017 से यूनिट के 167 (कार्यकारी और गैर कार्यकारी दोनों) कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं था।

प्रबंधन ने बाताया (मार्च 2018) कि एसआईयू में लौह अयस्क का भंडार ख़त्म हो चुका था और परिवहन ठेकेदार के निलंबन के कारण अयस्क की आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। नए ठेकेदार को नियुक्त किया जा रहा था। मौजूदा कर्मचारियों, जिनके पास काम नहीं था, के संबंध में यह बताया गया कि श्रम बल को या तो अन्य इकाईयों को पुन: सौप कर या नियुक्त करके इनका लाभप्रद उपयोग करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। अधिशेष श्रम बल के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर भी विचार किया गया था।

हांलाकि, एसआईयू पलोनचा के लिए प्रतिवर्तन योजना के कार्यान्वयन पर उत्तर में कुछ भी नहीं कहा गया था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2018) कि नवम्बर 2017 में इस्पात मंत्रालय के साथ हुई वार्ता के अनुसार यूनिट के पुन: प्रवर्तन के लिए एक इस्पात संयंत्र अथवा इस्पात संबधित इकाई को स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी परामर्शदाता को नियुक्त किया जा रहा था।

3.5 कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड (केवीएसएल), बेल्लारी

विस्तार करने के उपाय के रूप में और रमणदुर्ग लौह अयस्क डिपाजिट को प्राप्त करने के उद्देश्य से एनएमडीसी ने मुख्यत: 2 एमटीपीए की क्षमता के साथ और 5 एमटीपीए तक की विस्तार योग्य क्षमता के साथ एक हरित क्षेत्र इस्पात संयंत्र को स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार (जीओके) के साथ जून 2010 में एक समझौता ज्ञापन किया था। कर्नाटक के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय निकासी समिति (एसएचएलसीसी) ने विजयनगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएडीए) द्वारा एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित

करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी-एक चैनलाइजिंग एजेंसी) बैगलुरू के द्वारा 5,000 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दी थी (अगस्त 2009)। एनएमडीसी के द्वारा बेल्लारी के निकट जानेकुन्ते और वैनीवीरापुरा गॉवों में 2,857.54 एकड़ की भूमि हेतु केआईएडीबी के साथ ₹639.61 करोड़ की राशि जमा की गई थी (मार्च 2017 तक)। इस दौरान एनएमडीसी ने कर्नाटक में इस्पात एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के रूप में कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड (केवीएसएल) के नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी निगमित की थी (29 दिसम्बर 2014) और प्रस्तावित परियोजना को एसपीवी के नाम पर हस्तान्तरित किया गया था (जून 2015)। हमने देखा कि कम्पनी ने रमणदुर्ग लौह अयस्क खदान पट्टे की मंजूरी को सुनिश्चित किये बिना भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹639.61 करोड़ खर्च किये थे। भूमि मालिकों द्वारा जनहित याचिका दायर करने के कारण आठ वर्ष (अर्थात अगस्त 2009 की तिथि से) का काफी समय समाप्त हो जाने के बाद भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। प्रस्तावित इस्पात संयंत्र हेतु जल निकासी के लिए कम्पनी को अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी जो कि अगस्त 2011 से कर्नाटक सरकार के जल संसाधन विभाग के पास लम्बित थी।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (मार्च/जुलाई 2018) कि:

- रमणदुर्ग खदान के आवंटन हेतु नया आवेदन फरवरी 2017 में जमा किया गया था और इस्पात एसपीवी के लिए लौह अयस्क ब्लॉको के आरक्षित करने हेतु अनुरोध अक्टूबर 2017 में इस्पात मंत्रालय के माध्यम से किया गया था।
- निजी भूमि (कुल 2,975 एकड़ भूमि में से 2,857.54 एकड़) का कब्जा 11 जनवरी 2018 को कम्पनी के पक्ष में किया गया था और शेष 117.46 एकड़ सरकारी भूमि के कब्जे पर जिला प्राधिकरणों के द्वारा आवंटन हेतु विचार किया जा रहा था।
- इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित निकासी बिंदु से जल निकासी की अनुमति प्राप्त करने हेतु औपचारिक अनुमोदन कर्नाटक सरकार से प्राप्त करना प्रतिक्षित था।

3.6 डोनीमलाई में पैलैट संयंत्र

उपलब्ध (छः मिलियन टन) और प्रत्याशित अतिरिक्त (16 मिलियन टन) स्लाइम (50 प्रतिशत से अधिक एफई मिला हुआ निम्न गुणवत्ता का अयस्क) की मात्रा का उपयोग करने के उद्देश्य से, जो डोनीमलाई क्षेत्र की लौह अयस्क की दोनो खदानों से लौह अयस्क की वेट स्क्रीनिंग के दौरान उत्पन्न होते हैं, बेनिफिशिएशन और पैलेटाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से स्लाइमों (1.59 एमटीपीए) और फाइनो (0.30 एमटीपीए) का उपयोग करके पैलेटो के उत्पादन के लिए डोनामलाई में 1.2 एमटीपीए पैलेट संयंत्र को स्थापित करने का कम्पनी ने

(मई 2009) में प्रस्ताव किया था। बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्लाइमों को उच्च गुणवत्ता अयस्क में संपरिवर्तन, पैलेटो के विनिर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। इस प्रकार से बेनिफिशियेट किये गए अयस्क को भट्ठों में गेंदो और छर्रो में परिवर्तित किया जाएगा। परमर्शदाता, एम.एन.दस्तुर एण्ड क. के द्वारा तैयार किये गए टीईएफआर के अनुसार ₹572 करोड़ के निवेश के लिए प्रधान अनुमोदन दिया गया था (29 मई 2009) और परियोजना की अनुमोदित अनुमानित लागत ₹545.27 करोड़ थी जिसमें ₹98.88 करोड़ का विदेशी मुद्रा घटक भी सम्मिलित था। परियोजना को छः पैकेजों में बॉटा गया था। इसके अतिरिक्त, परियोजना की इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, विनिर्माण और प्रबंधन (ईपीसीएम) हेतु परामर्श कार्य भी दस्तुर एण्ड कं. को निष्पादन गारंटी जांच सहित मार्च 2012 में निर्धारित समापन समय के साथ ₹13 करोड़ (बाद में ₹13.75 करोड़ तक संशोधित) के लिए दिया गया था (16 जून 2009)। तथापि, ठेकेदार पर रोप्य कारणों से, निर्धारित समय पर परियोजना का कार्य पूरा नहीं किया जा सका था। पैकेज के अनुसार दिये गए ठेको के ब्यौरे और इसकी वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.7- पैलेट संयंत्र के लिए दिये गए ठेको के पैकेज अनुसार ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति

पैकेज का ब्यौरा	ठेकेदार का नाम	ठेको का मूल्य (₹ करोड़ में)	दिये जाने की तिथि और पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूरा करने हेतु विस्तारों की संख्या और संशोधित तिथि	टिप्पणियां
कार्य स्थल लेवलिंग कार्य	एएमआर कन्सट्रक्शन लि.	1.06	05.10.2010 04.02.2011	(2)/ 30.11.2011	30.11.2011 को पूरा किया गया
चारदीवारी कार्यों को सम्मिलित करते हुए विविध इमारत	आईवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड प्रोजेक्टस लि.	15.80	01.12.2010 31.12.2011	(8)/ 30.04.2014	30.04.2014 को पूरा किया गया
1.2 एमटीपीए क्षमता पैलेट संयंत्र का विनिर्माण	टाटा प्रोजेक्ट्स लि.	288.53*	17.01.2011 16.07.2012	(13)/ 30.06.2017	31.01.2017 को आंशिक रूप से (99 प्रतिशत) चालू किया गया
बेनिफिशिएशन संयंत्र का विनिर्माण	हिन्दुस्तान डोर ओलिवर लि. (एचडीओएल)	128.77#	08.06.2011 07.11.2012	(11)/ 31.12.2016	अप्रैल 2016 तक 96 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया था परन्तु निर्माण चालू होना शेष था

पैकेज का ब्यौरा	ठेकेदार का नाम	ठेको का मूल्य (₹ करोड़ में)	दिये जाने की तिथि और पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूरा करने हेतु विस्तारों की संख्या और संशोधित तिथि	टिप्पणियां
110/6.6 के.वी मुख्य प्रापक और स्टेप डाऊन सब स्टेशन (एमआरएसएस) और संयंत्र संचार प्रणाली	लार्सन एण्ड टुर्बो लि.	35.68	18.12.2010 17.04.2012	(10)/ 30.06.2016	30.09.2016 को चालू किया गया और 10.11.2016 को निष्पादन गारंटी जांच हुई।
परामर्श सेवाएं	एमएन दस्तुर एण्ड कं.	13.74 (संशोधित)	16.06.2009 15.03.2012		
गतिशील उपकरण					100 प्रतिशत डिलिवर किया गया

(*) सीमा शुल्क और अन्य करों रहित यूएस $2,06,10,000 का विदेशी घटक सम्मिलित है।
(#) सीमा शुल्क और अन्य करों रहित यूएस $5,41,433 का विदेशी घटक सम्मिलित है।

हमने देखा कि मुख्य पैकेज कार्यों के असंकालन के कारण, परियोजना के चालू होने में असामान्य विलम्ब हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- बेनिफिशिएशन पैकेज के ठेकेदारों के सहायता संघ (मैसर्स एचडीओएल और अन्य) मुख्यत: अपने वित्तीय संकट के कारण दिये गए कार्य (08 जून 2011) को 07 नवम्बर 2012 की निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं कर सके। कम्पनी ने आश्वासन पत्रों को जारी करके ठेकेदारों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की थी और कार्य के निष्पादन के लिए उसके उप विक्रेताओं/ठेकेदारों को सीधे भुगतान किये और ब्याज के साथ एचडीओएल के चालू बिलों से समान राशि की वसूली की। इसके बावजूद, ठेकेदार दिवालिया हो गया और राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुम्बई शाखा ने एचडीओएल के विरूद्ध कॉर्पोरेट ऋणशोधन क्षमता समाधान आरंभ करने का आदेश दिया था (अप्रैल 2017)।
- चूंकि बेनिफिशिएशन संयंत्र तैयार नहीं था, पैलेट संयत्र के ठेकेदार के आग्रह पर ई-नीलामी के माध्यम से फाईंस की खरीद का प्रयोग करके जून 2015 में पूर्व

परीक्षण किया गया, जिसके बाद ठेकेदार को प्रवर्तन प्रमाणपत्र जारी किया गया (31 जनवरी 2017)।

आगे हमने देखा कि:

- पैलेट संयंत्र को नि:शुल्क उपलब्ध स्लाइमों के बल पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, केन्द्रीय अधिकारित समिति द्वारा नियुक्त मानीटरिंग समिति के पर्यवेक्षण के अधीन ई-नीलामी के माध्यम से कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क के विक्रय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी को अन्यों के बराबर बाजार मूल्य पर ई-नीलामी के माध्यम से स्लाइमों/फाइनों की खरीद करनी पड़ी। इसके कारण, पैलेटों की उत्पादन लागत बढ़ने के लिए बाध्य थी जिससे परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- कम्पनी ने, बेनिफिशिएशन पैकेज ठेकेदार के उप-ठेकेदारों को ₹11.42 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया (मई 2017 तक), जिसकी वसूली ठेकेदार की दिवालिया स्थिति के कारण संदिग्ध थी।
- परियोजना के असामान्य विलम्ब से पूरा होने के कारण, ईपीसीएम परामर्शदाता सहित परियोजना के सभी ठेकेदारों (बेनिफिशिएशन पैकेज के ठेकेदार के अलावा) ने ₹132.57 करोड़ की अतिरिक्त राशि के दावे किए (जुलाई 2017) जिनका भुगतान होना बाकी था।
- कम्पनी ने केआईओसीएल लिमिटेड, बैंगलुरू को इस क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के संदर्भ में तीन वर्षों की अवधि के लिए पैलेट संयंत्र के परिचालन और अनुरक्षण (ओएण्डएम) के ठेके का कार्य दिया (07 जनवरी 2015)। ठेके में पूर्व प्रर्वतन के उपक्रम, प्रर्वतन सेवाओं (समेकित प्रर्वतन सहित) परिचालन और अनुरक्षण कम्पनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण को, एनएमडीसी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और प्रेरणा प्रदान करने के अलावा, शामिल किया गया था। कम्पनी ने अगस्त 2015 से जून 2018 तक प्रर्वतन और ओ एण्ड एम हेतु केआईओसीएल को ₹ 82.87 करोड़ का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि:

- वर्तमान तिथि तक लगभग 70,500 टन पैलेट का उत्पादन किया गया था, जिसमें से 62,000 टन का विक्रय किया गया था।
- यद्यपि टीईएफआर ने पैलेटो के विनिर्माण के लिए नि:शुल्क स्लाइमों के उपयोग पर विचार किया था, एनएमडीसी द्वारा कर्नाटक सरकार के लिए माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्देशो के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से स्लाइमों/फाइनों की खरीद की गई थी।

- एचडीओएल से वसूली योग्य राशि ₹ 2.49 करोड़ थी, वह भी कार्यों को पूरा करने में देरी के संबंध में ₹ 5.52 करोड़ की निर्णित हर्जाने के उदग्रहण करने के बाद था। शेष कार्यों को पूरा करने के बाद यह राशि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
- विविध इमारत और एमआरएसएस पैकेज के लिए विलंब के विश्लेषण को अंतिम रूप दिया गया था और दोनो पैकेज ठेकेदारों पर निर्णित हर्जाना लगाया गया था। अन्य पैकेजों के दूसरे ठेकेदारों के संबंध में विलंब विशलेषण के पूरा होने के बाद अतिरिक्त दावों को अंतिम रूप दिया जायेगा। .

कम्पनी द्वारा बताया गया 70,500 टन के पैलेटों का उत्पादन स्तर, पैलेट संयंत्र की 12 लाख टन की वार्षिक क्षमता का 5.88 प्रतिशत संगणित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एचडीओएल को किये गए निर्णित हर्जाने और अग्रिम भुगतानों के अलावा कार्यों के निष्पादित नहीं किये गए भाग हेतु लागत को सम्मिलित करते हुए एचडीओएल से ₹ 11.42 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी। कम्पनी ने पैलेटों के उत्पादन से सम्बंधित लागत शीट नहीं बनाई इसलिए हम लागत लाभ विश्लेषण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सके।

प्रबंधन के विचारों को दोहराते हुए, मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2018) कि कम्पनी अभी तक 1,05,000 टन के पैलेटों का उत्पादन कर सकी है।